अनुदान संख्या 27 – आर्थिक कार्य विभाग
GRANT No. 27 - DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3211,46,00		3803,48,00	3475,59,31	-327,88,69
पूरक	Supplementary	592,02,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					184,32,04
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	17208,97,00		24779,14,00	12728,09,28	-12051,04,72
पूरक	Supplementary	7570,17,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					7488,16,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹32788.69 लाख) नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹59202.00 लाख के पूरक अनुदान का 55 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹32788.69 lakhs) constituted 55 percent of the supplementary grants of ₹59202.00 lakhs obtained in November, 2019, and March, 2020 and constituted 9 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following Major Heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052"	Major head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services				
मू.	O.	18145.00			
पू.	S.	1.00	15010.30	13955.19	-1055.11
पु.	R.	-3135.70			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	3225.00			
			3498.86	2535.30	-963.56
पु.	R.	273.86			
मुख्य शीर्ष "3466"	Major Head "3466"				
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	International Financial Institutions				
मू.	O.	48442.00			
पू.	S.	1237.00	48046.52	48046.31	-0.21
पु.	R.	-1632.48			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	90608.00			
पू.	S.	22816.00	98305.96	88892.98	-9412.98
पु.	R.	-15118.04			
मुख्य शीर्ष "3605"	Major Head "3605"				
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Technical and Economic Co-operation with Other Countries				
मू.	O.	89355.00			
पू.	S.	35018.00	125568.98	123362.35	-2206.63
पु.	R.	1195.98			

(I) ₹3938.10 लाख का प्रावधान (₹1240.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹3738.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "3466" – एशियन विकास निधि – एशियन विकास निधि के लिए अंशदान" – ₹1237.00 लाख (₹1236.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) नकद माध्यम में एडीएफ–XI के लिए भारत के अंशदान की आवश्यकता नहीं होने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "3475" – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग" – ₹1500.00 लाख – दूसरे हिस्से के लिए पात्रता हेतु शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष "3605" – "अन्य व्यय – भारत–जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग" – ₹1001.00 लाख – प्रतिपूर्ति दावे के लिए सहायक दस्तावेजों की देरी से प्राप्ति के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "3475" – "आरक्षित निधि को अंतरण – स्वर्ण आरक्षित निधि" – ₹53800.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹22816.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹76616.00 लाख किया गया था जो, तथापि, ₹4200.00 लाख की सीमा तक – स्वर्ण बोंड आरक्षित निधि के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने और कोविड–19 महामारी के कारण उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन होने, जिसकी वजह से अंतिम तिमाही में बहुत कम स्वर्ण जमा हुआ, के कारण अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – आर्थिक कार्य विभाग" – ₹3624.87 लाख की बचत (₹17119.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण रिक्त पदों को न भरे जाने, विज्ञापन तथा प्रचार, व्यावसायिक सेवाओं, अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता, कम दौरे किए जाने और छुट्टी यात्रा रियायत तथा छुट्टी नकदीकरण दावों के कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹3938.10 lakhs (including supplementary grant of ₹1240.00 lakhs) remained wholly unutilized under eighteen heads; of these ₹3738.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "3466" - "Asian Development Fund (ADF) - Contribution towards Asian Development Fund (ADF)" - ₹1237.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1236.00 lakhs) - due to non-requirement of India's contribution towards ADF-XI in cash medium.

(B) Major Head "3475" - "International Co-operation - Technical Co-operation with African Development Bank" - ₹1500.00 lakhs - due to non-fulfillment of conditions to be eligible for second tranche.

(C) Major Head "3605" - "Other Expenditure - Indo-German Bilateral Development Co-operation" - ₹1001.00 lakhs - due to late receipt of supporting documents for re-imbursement claim.

(II) Under Major Head "3475" - "Transfer to Reserve Fund - Gold Reserve Fund" - the original provision of ₹53800.00 lakhs was augmented to ₹76616.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹22816.00 lakhs, which, however, remained unutilised to the extent of ₹4200.00 lakhs - due to less requirement of funds towards Gold Bond Reserve Fund and change in consumer behaviour because of COVID-19 Pandemic, resulting in very less gold deposit in last quarter.

(III) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Economic Affairs" - saving of ₹3624.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17119.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards advertising and publicity, professional services, other administrative expenses, less tours undertaken, less

leave travel concession and leave encashment claims owing to COVID-19 Pandemic.

(IV) मुख्य शीर्ष "2070" – "निदेशन और प्रशासन – प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण" के अंतर्गत – ₹550.89 लाख की बचत (₹1135.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण कम करार निष्पादित होने और छुट्टी यात्रा रियायत, छुट्टी नकदीकरण और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2070" - "Direction and Administration - Security Appellate Tribunal" - saving of ₹550.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1135.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-execution of lease agreement owing to COVID-19 pandemic and requirement of less funds towards leave travel concession, leave encashment and other establishment related expenses.

(V) मुख्य शीर्ष "3475" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(V) Under Major Head "3475" - savings occurred under the following heads:-

(क) "अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता – अवसंरचना विकास के लिए सहायता – व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण" – ₹18884.00 लाख की बचत (₹20069.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम परियोजनाओं को मंजूरी मिलने तथा व्यवहार्य प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण परियोजना प्राधिकारियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(A) "Financial Support for Infrastructure Development - Assistance for Infrastructure Development-Viability Gap Funding" - saving of ₹18884.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20069.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the project authorities owing to less approval of projects and less receipt of viable proposals.

(ख) "अन्य व्यय – भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण" – ₹1300.70 लाख की बचत (₹2100.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure - Training of Indian Economic Service Officers" - saving of ₹1300.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.90 lakhs) was due to conduction of less training programmes.

(VI) मुख्य शीर्ष "3605" के अंतर्गत – "अन्य देशों के साथ सहयोग – भारतीय कंपनियों को ब्याज समकरण सहायता" के अंतर्गत – ₹2338.18 लाख की बचत (₹4440.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "3605" - "Cooperation with other countries - Interest Equalisation support for Indian Companies" - saving of ₹2338.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4440.00 lakhs) was due to receipt of less claims.

(VII) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹765.26 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और ₹500.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 26 प्रतिशत और 87 प्रतिशत थीं।

(VII) Under two heads savings of ₹765.26 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 26 percent and 87 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपरोक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2349.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं

2.(I) The above savings were partly (₹2349.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by

जैसाकि मुख्य शीर्ष "3605" – "अन्य देशों के साथ सहयोग – भारत के एक्सिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता" के अंतर्गत – ₹35017.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2348.69 लाख था।

re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹35017.00 lakhs under Major Head "3605" - "Cooperation with other countries - Interest Equalization support to EXIM Bank of India". Actual excess, however, was ₹2348.69 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3475" – "स्वर्ण मौद्रीकरण स्कीम 2015 के लिए कमीशन – कमीशन की अदायगी" के अंतर्गत – अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई थीं – ₹1369.86 लाख का अधिक व्यय (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधानों की तुलना में) अधिक सोना जमा होने के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों को कमीशन की अदायगी की प्रतिपूर्ति के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3475" - "Commission for Gold Monetization Scheme 2015 - Commission Payment" - excess of ₹1369.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to re-imbursement of commission payment to nationalised banks owing to more deposit of gold under the scheme.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹1205104.72 लाख) नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹757017.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं तथा यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 49 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings of (₹1205104.72 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹757017.00 lakhs obtained in November, 2019, and March, 2020 and constituted 49 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4046"	Major Head "4046"				
मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint				
मू.	O.	400000.00			
पू.	S.	290000.00	400000.00	345332.19	-54667.81
पु.	R.	-290000.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4058"	Major Head "4058"				
लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Stationery and Printing				
मू.	O.	1000.00	..	..	..
पु.	R.	-1000.00			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	2000.00	100.00	..	-100.00
पु.	R.	-1900.00			
मुख्य शीर्ष "5465"	Major Head "5465"				
सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थाओं में निवेश	Investments in General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	224701.00			
पू.	S.	375301.00	700002.00	404133.65	-295868.35
पु.	R.	100000.00			
मुख्य शीर्ष "5466"	Major Head "5466"				
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Investments in International Financial Institutions				
मू.	O.	559919.00			
पू.	S.	89216.00	596578.98	500112.00	-96466.98
पु.	R.	-52556.02			
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	404000.00	1157.40	..	-1157.40
पु.	R.	-402842.60			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "7475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	Major Head "7475" Loans for Other General Economic Services				
मू.	O.	100000.00	..	..	..
पु.	R.	-100000.00			
मुख्य शीर्ष "7610" सरकारी सेवकों आदि को ऋण	Major Head "7610" Loans to Government Servants etc.				
मू.	O.	20000.00	22500.00	14473.09	-8026.91
पू.	S.	2500.00			

(I) ₹737933.00 लाख का प्रावधान (₹88602.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पंद्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹737927.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :–

(I) Provision of ₹737933.00 lakhs (including supplementary grant of ₹88602.00 lakhs) remained wholly unutilised under fifteen heads; of these ₹737927.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4058" – "सरकारी मुद्रणालय – बजट मुद्रणालय के लिए मशीनों की खरीद" – ₹1000.00 लाख – मशीनरी की खरीद न होने के कारण।

(A) Major Head "4058" - "Government Presses - Purchase of Machines for Budget Press" - ₹1000.00 lakhs - due to non-procurement of machinery.

(खा) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवास – आईईएस अधिकारियों के लिए 90 रिहायशी यूनिटों का निर्माण" के अंतर्गत – ₹2000.00 लाख – भारतीय आर्थिक सेवा के लिए 90 रिहायशी यूनिटों के निर्माण की प्रक्रिया को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण।

(B) Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Construction of 90 dwelling units for IES officers" - ₹2000.00 lakhs - due to non - materialization of process for construction of 90 dwelling units for Indian Economic Services.

(गा) मुख्य शीर्ष "5465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश – रणनीतिक एवं सामाजिक अवसंरचना वित्त निगम

(C) Major Head "5465" - "Investments in General Financial Institutions - Investments in Public Sector & Other Undertakings, banks, etc. - Strategic

(आईएसएसआईएफसी)" – ₹100000.00 लाख – योजना का संचालन न होने के कारण।

(घा) मुख्य शीर्ष "5466" –

(क) "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष – मूल्य अनुरक्षण (एमओवी) दायित्व" – ₹95802.00 लाख (₹85802.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) कोविड–19 लॉकडाउन के कारण प्रयोक्ता डिवीजन द्वारा मंजूरी जारी न किए जाने के कारण।

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में निवेश – चयनित पूंजीगत वृद्धि (एससीआई) के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को भुगतान" – ₹32325.00 लाख – आईएफसी पूंजी वृद्धि पैकेज को स्वीकार न किए जाने के कारण।

(ग) "पुनर्निर्माण तथा विकास हेतु यूरोपीय बैंक में निवेश – पुनर्निर्माण तथा विकास हेतु यूरोपीय बैंक (ईवीआरडी) को अंशदान" – ₹2800.00 लाख का पूरक प्रावधान – ईबीआरडी बोर्ड द्वारा अतिरिक्त शेयरों के लिए अंशदान की मंजूरी न दिए जाने के कारण।

(ड़ा) मुख्य शीर्ष "5475"

(क) "अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता – अवसंरचना विकास के लिए सहायता – व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण" – ₹4000.00 लाख – कम तथा अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण।

(ख) "अन्य व्यय – नई स्कीमें" – ₹400000.00 लाख – नई स्कीम शुरू न करने के कारण।

(चा) मुख्य शीर्ष "7475" – "अन्य ऋण – कर्ज की नई व्यवस्थाओं (एनएबी) के अंतर्गत आईएमएफ को ऋण –

and Social Infrastructure Finance Corporation of India (ISSIFC)" - ₹100000.00 lakhs - due to non - operationalization of the scheme.

(D) Major Head "5466" -

(a) "International Monetary Fund - Maintenance of Value (MoV) obligation" - ₹95802.00 lakhs (including supplementary grant of ₹85802.00 lakhs) - due to non-issuance of sanction by user division owing to COVID-19 lockdown.

(b) "Investment in International Finance Corporation - Payment to International Finance Corporation towards Selective Capital Increase (SCI)" - ₹32325.00 lakhs - due to non-adoption of IFC capital increase package.

(c) "Investment in the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) - Subscription to the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)" - supplementary provision of ₹2800.00 lakhs - due to non-approval of subscription to additional shares by EBRD Board.

(E) Major Head "5475" -

(a) "Financial Support for Infrastructure Development - Assistance for Infrastructure Development - Viability Gap Funding" - ₹4000.00 lakhs - due to receipt of less and incomplete proposals.

(b) "Other Expenditure - New Schemes" - ₹400000.00 lakhs - due to non-taking off of new schemes.

(F) Major Head "7475" - "Other Loans - Loan to IMF under New Arrangements to Borrow (NAB)" -

₹100000.00 लाख – अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मांग प्राप्त न होने के कारण।

₹100000.00 lakhs - due to non-receipt of demand from the International Monetary Fund.

(II) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार पूर्णतय अप्रयुक्त रहा :–

(II) Supplementary grant obtained under the following heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "5466" –

(A) Major Head "5466" -

(क) "अफ्रीकी विकास बैंक – अफ्रीकी विकास बैंक को अंशदान" – ₹36.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹596.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹632.00 लाख किया गया। तथापि, ₹598.26 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) अंशदान की दूसरी किस्त के लिए निधियों की आवश्यकता न होने के कारण हुई।

(a) "African Development Bank - Subscription to African Development Bank" - the original provision of ₹36.00 lakhs was augmented to ₹632.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹596.00 lakhs. However there was a saving of ₹598.26 lakhs (including supplementary grant) - due to non-requirement of funds towards 2nd instalment of subscription.

(ख) "विश्व बैंक – ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) न्यू विकास बैंक (एनडीबी) को अंशदान" – ₹216797.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹18.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹216815.00 किया गया। तथापि, ₹3060.80 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – विनिमय दर परिवर्तनों के कारण हुई।

(b) "World Bank - Subscription to Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) New Development Bank (NDB)" - the original provision of ₹216797.00 lakhs was augmented to ₹216815.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹18.00 lakhs. However, there was a saving of ₹3060.80 lakhs (including supplementary grant) - due to exchange rate variation.

(खा) मुख्य शीर्ष "7610" – गृह निर्माण अग्रिम – मंत्रालय तथा संघ राज्यर क्षेत्र प्रशासन" – ₹12500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹15000.00 लाख किया गया। तथापि, ₹5845.01 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – कोविड–19 लॉकडाउन के कारण ऋण वितरण के लिए कम आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) Major Head "7610" - "House Building Advances - Ministries & Union Territory Administrations" - the original provision of ₹12500.00 lakhs was augmented to ₹15000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2500.00 lakhs. However, there was a saving of ₹5845.01 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less applications for disbursal of loan owing to COVID-19 lockdown.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा :–

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष “4046” – “स्वर्ण की खरीद – स्वर्ण मौद्रीकरण स्कीम 2015” – ₹120000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹290000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹410000.00 किया गया जो, तथापि, ₹254667.81 लाख की सीमा तक लोगों तथा संस्थाओं की कम भागीदारी और कोविड–19 महामारी के कारण उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव होने, जिसकी वजह से अंतिम तिमाही में बहुत कम स्वर्ण जमा हुआ, के कारण अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head “4046” - “Purchase of Gold - Gold Monetization Scheme 2015” - the original provision of ₹120000.00 lakhs was augmented to ₹410000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹290000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹254667.81 lakhs - due to less participation by people and Institutions and change in consumer behaviour because of COVID-19 Pandemic, resulting in very less gold deposit in last quarter.

(खा) मुख्य शीर्ष “5465” – “सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश – आरक्षित निधि को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि” – ₹25000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹275000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹300000.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹100000.53 लाख की सीमा तक – स्कीम का संचालन न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head “5465” - “Investments in General Financial Institutions - Transfer to Reserve Fund - National Investment Fund” - the original provision of ₹25000.00 lakhs was augmented to ₹300000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹275000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹100000.53 lakhs - due to non-operationalization of the scheme.

(IV) मुख्य शीर्ष “4046” – “भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद – सिक्के” के अंतर्गत – ₹90000.00 लाख की बचत (₹280000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिक्कों के मांगपत्र में संशोधन करके कमी किए जाने और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिक्कों की कम ढुलाई किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head “4046” - “Purchase of Coins from Security Printing & Minting Corporation of India Ltd. (SPMCIL) - Coins” - saving of ₹90000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹280000.00 lakhs) was due to downward revision of indent of coins and lesser lifting of coins by Reserve Bank of India.

(V) मुख्य शीर्ष “5466” के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं :–

(V) Under Major Head “5466” - savings occurred under the following heads:-

(का) “अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) में निवेश – अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को अंशदान (आईबीआरडी)” – ₹729.70 लाख की बचत (₹35152.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधन की तुलना में) विनिमय दर परिवर्तन के कारण हुई।

(A) “Investments in International Bank for Reconstruction & Development (IBRD) - Subscription to the International Bank for Reconstruction & Development (IBRD)” - saving of ₹729.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35152.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

(खा) “एशियाई विकास बैंक में निवेश – एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) को अंशदान” – ₹8143.45 लाख की बचत (₹246406.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर परिवर्तन के कारण हुई।

(B) “Investments in the Asian Development Bank - Subscription to Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)” - saving of ₹8143.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹246406.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

(गा) "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष – अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंशदान (भारत के कोटा वृद्धि के तहत एसडीआर (खरीद)" – ₹5560.79 लाख की बचत (₹19200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंशदान के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "7610" – "कंप्यूटरों की खरीद के लिए अग्रिम – कंप्यूटरों तथा अन्य बाह्य उपकरणों आदि की खरीद के लिए अग्रिम" – ₹2161.90 लाख की बचत (₹7476.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 लॉकडाउन के कारण ऋणों के वितरण के लिए कम आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹100000.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "5465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश – वहनीय तथा मध्यम–आय आवास के लिए विशेष विंडों" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹4133.71 लाख था।

5. निर्भया निधिः–

'निर्भया निधि' की स्थापना वर्ष 2013–14 में उन स्थायी उपायों/बचावों के वित्तपोषण के लिए की गई थी जिससे महिलाओं के बचाव और सुरक्षा में व्यापक वृद्धि होती है और जो दीर्घाकालिक और प्रभावी होते हैं। इस निधि को उद्देश्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा बलिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा और बचाव के लिए इनके हेतु विभिन्न उपायों के लिए वित्त व्यवस्था करना है, निधियां बजट प्रावधान के अनुसार भारत की समेकित निधि के राजस्व व्यय शीर्ष से स्थानांतरित की जाएगी। 'निर्भया निधि को अंतरण' के लिए बजटीय प्रावधान उन संबंधित अनुदान मांगों से किया जाएगा जिनमें व्यय आबंटन किया गया है।

(C) "International Monetary Fund - Subscription to International Monetary Fund (SDR purchase against India's quota increase)" - saving of ₹5560.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19200.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards subscriptions.

(VI) Under Major Head "7610" - "Advances for purchase of Computers - Advances for purchase of Computers and other peripherals etc." - saving of ₹2161.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7476.00 lakhs) was due to receipt of less applications for disbursal of loans owing to COVID-19 lockdown.

4. The above savings were partly (₹100000.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "5465" - "Investments in General Financial Institutions - Investments in Public Sector & Other Undertakings, banks, etc. - Special Window for Affordable and Middle-Income Housing" - Actual excess, however, was ₹4133.71 lakhs.

5. Nirbhaya Fund: -

The 'Nirbhaya Fund' was established during 2013-14 to be used to fund those enduring measures/interventions which substantially enhance the safety and security of women and are sustainable and effective over a long period of time. The purpose of the fund is to finance various initiatives taken by different Ministries/Departments of the Government towards empowering girl children and women ensuring their safety and security. Funds will be transferred as per budget provisions from the Revenue Expenditure head from the Consolidated Fund of India. The budgetary allocations for 'transfer of the Nirbhaya Fund' will be made from the respective Demands for Grants where expenditure allocations are made.

2019–20 के लिए निधि के लेखे इस प्रकार थे :–

The Account of the Fund for 2019-20 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	2240,03,64
प्राप्तियां	Receipt	550,00,00
अदायगियां	Payments	1034,76,08
अंतशेष	Closing Balance	1755,27,56

6. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधिः–

'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' की स्थापना स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान से संबंधित विभिन्न नई परियोजनाओं के वित्त पोषण करने के लिए की गई थी। 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत में उत्पादित कोयले पर ऊर्जा उपकर नाम की लेवी लगाने का प्रस्ताव किया गया। इसे दिनांक 22.06.2010 के गजट अधिसूचना संख्या 06–2010 – स्वच्छ ऊर्जा उपकर में अधिसूचित किया गया था। स्वच्छ ऊर्जा उपकर की इस प्रस्तावित लेवी को कर राजस्व में रूप में वसूल किया जाना है और इस प्रकार सृजित हुई निधियों को आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया जाएगा। चिन्हित स्कीमों/नई परियोजनाओं पर व्यय का प्रावधान कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान की मांग में किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से वसूलियां भी उसी कार्यात्मक व्यय शीर्ष के अंतर्गत की जाएगी ताकि स्कीमों पर व्यय और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से वसूली का मिलान हो जाएग।

6. National Clean Energy Fund: -

The 'National Clean Energy Fund' was established to finance various new projects relating to researches in Clean Energy etc. In order to meet the objectives of 'National Clean Energy Fund' a levy called Energy Cess on coal produced in India was proposed. This was notified in Gazette Notification No. 06-2010 - Clean Energy Cess dt. 22.06.2010. The proposed levy of Clean Energy Cess is to be collected in the form of Tax Revenue and the funds so generated will be transferred to Reserve Fund. The provision for expenditure on identified schemes/new projects will be made in Demand for Grants of different Ministries/Departments under the functional Major Heads, The recoveries from the National Clean Energy Fund will also be made under the same functional expenditure head so the expenditure on the schemes and recovery from National Clean Energy Fund get matched.

2019–20 के लिए निधि के लेखे इस प्रकार थेः–

The Account of the Fund for 2019-20 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1
प्राप्तियां	Receipt	शून्य NIL
अदायगियां	Payments	शून्य NIL
अंतशेष	Closing Balance	1

7. गारंटी मोचन निधि :–

इस निधि की स्थापना संघ सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थाओं आदि को दी गई गारंटी, जब भी ऐसी गारंटी मांगी जाती है, के मोचन के लिए की गई थी। इस निधि को वित्त मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले वार्षिक आबंटन द्वारा धन मुहैया कराया जाता है। जब गारंटी मांगी जाती है, तो इस प्रकार के व्यय को संबंधित अनुदान के संबंधित कर्ज शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाए और निधि से वसूली को भी कर्ज शीर्ष के अंतर्गत ऋण प्रविष्टियों के रूप में लेखाबद्ध किया जाएगा।

2019–20 के लिए निधि के लेखे इस प्रकार थे :–

7. Guarantee Redemption Fund: -

The fund was constituted for redemption of Guarantees given by the Union Government to Central Public Sector Undertakings, Financial Institutions etc., whenever such guarantees are invoked. The fund is fed by annual allocation to be made by Ministry of Finance. When the Guarantees are invoked, such expenditure may be shown under the concerned loan head of respective grant and recovery from the fund will also be accounted for under the loan head as deduct entry.

The Account of the Fund for 2019-20 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	4629,96,00
प्राप्तियां	Receipt	600,00,00
अदायगियां	Payments	शून्य NIL
अंतशेष	Closing Balance	5229,96,00